

आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 359/2024 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
एस आर जी हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय- 321, एस एम लोढ़ा कॉम्पलेक्स,
शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. सुनील शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा,
पता:- प्लॉट नं. 22 ए, गौतम विहार, सिरसी रोड़, ग्राम पांच्यावाला, तहसील जयपुर,
केयर ऑफ मैसर्स श्री श्याम फेब्रिक, एच-1-43, अपेरल पार्क, महल योजना, ग्राम जगतपुरा,
जयपुर
एवं केयर ऑफ श्री श्याम फेब्रिक, प्लॉट नं. 19, मारुती कॉलोनी, प्रताप नगर, सांगानेर,
जयपुर।
2. पूजा शर्मा पत्नी सुनील शर्मा,
पता:- प्लॉट नं. 22 ए, गौतम विहार, सिरसी रोड़, ग्राम पांच्यावाला, तहसील जयपुर।
3. पारितोष कुमार शर्मा पुत्र रमेश चंद शर्मा,
प्लॉट नं. 247, रूई वालों का मोहल्ला, बालाजी का रास्ता, रामगंज बाजार, जयपुर।



अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर


The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002

उपस्थित:- श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 15.10.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को
दिनांक 01.03.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सुनील शर्मा
के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 22-ए (नॉर्थ पार्ट ऑफ प्लॉट नं. 22), स्कीम गौतम
विहार, ग्राम पांच्यावाला, सिरसी रोड़, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 132.77 वर्गगज को बंधक रख
कर कुल राशि 38,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी
द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा
13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.03.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए।
नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी
वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुनर्भुगतान
इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिकता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 38,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक/हाईपोथिकेशन के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 40,21,250/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.03.2022 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के सन्दर्भ में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सुनील शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 22-ए (नॉर्थ पार्ट ऑफ प्लॉट नं. 22), स्कीम गौतम विहार, ग्राम पांच्यावाला, सिरसी रोड़, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 132.77 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली के अन्वय से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 15.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


 (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर